www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 05.01.2017

सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में उप-मुख्य श्रम आयुक्त एवं तीन अन्य को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में कोचि (केरल) में कार्यरत उप मुख्य श्रम आयुक्त ; सहायक श्रम आयुक्त ; श्रम प्रर्वतन अधिकारी तथा प्राइवेट फर्म के मानव संसाधन प्रबन्धक को गिरफ्तार किया।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 12, 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत उप मुख्य श्रम आयुक्त, कोचि एवं सहायक श्रम आयुक्त के विरूद्ध दिनांक 04.01.2017 को मामला दर्ज हुआ जिन पर आरोप है कि आरोपी मजदूरों के ठेकेदारों से नियमित तौर पर अवैध रिश्वत लेते थे। यह भी आरोप था कि उप-मुख्य श्रम आयुक्त मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु निगरानी निकाय थे। ऐसा आगे आरोप है कि आरोपी आपराधिक षडय़ंत्र में शामिल हुए एवं प्राइवेट फर्म के मानव संसाधन प्रबन्धक, जो कि आई.आई.एम. कालीकट में प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे थे, से घूस की माँग की।

सीबीआई ने प्राइवेट फर्म के उक्त मानव संसाधन प्रबन्धक के द्वारा उप मुख्य श्रम आयुक्त व सहायक श्रम आयुक्त को प्रत्येक 25,000 रू. व श्रम प्रवर्तन अधिकारी को 10,000 रू. देने के दौरान आरोपी व्यक्तियों को रोका। इसके अतिरिक्त, उप महा श्रम आयुक्त के पास से 50,000 रू. की राशि बरामद हुई थी। आरोपी के आवासीय एवं कार्यालयी परिसरों में तलाशी की गयी।

गिरफ्तार आरोपियों को कोचि की नामित अदालत के समक्ष पेश किया गया व न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

****